

मई 2024

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स:

- **वित्त**
 - फनिटेक क्षेत्र में स्व-नियामक संगठनों के लिये फ्रेमवर्क
 - स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिये मास्टर परपित्र जारी
 - RBI ने परियोजना वित्त हेतु प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क पर टपिपणियाँ आमंत्रित की
- **वाणजिय**
 - मसौदा वसिफोटक वधियक, 2024
- **जल संसाधन**
 - बाँध सुरक्षा और नगिरानी पर वनियिम जारी

वित्त

फनिटेक क्षेत्र में स्व-नियामक संगठनों के लिये फ्रेमवर्क

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने फनिटेक क्षेत्र में स्व-नियामक संगठनों (SRO) के लिये एक फ्रेमवर्क अधिसूचित किया।

फ्रेमवर्क की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **पात्रता और सदस्यता के मानदंड:**
 - SRO के लिये आवेदक की न्यूनतम नेटवर्थ दो करोड़ रुपए होनी चाहिये।
 - इसे RBI द्वारा मान्यता मलिन के एक साल के भीतर या SRO के रूप में परचालन शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, हासलि किया जाना चाहिये।
 - SRO की शेयरधारिता वविधि होनी चाहिये, जसिमें कसिी भी इकाई (या मलिकर काम करने वाली संस्थाएँ) के पास 10% से अधकि शेयर न हों।
 - SRO के सदस्यों में सभी आकारों, चरणों और गतविवधियों वाली संस्थाएँ शामिल होनी चाहिये तथा उसे क्षेत्र का प्रतनिधित्व करना चाहिये।
 - सदस्यता स्वैच्छिक होगी लेकिन RBI फनिटेक को कसिी मान्यता प्राप्त SRO का सदस्य बनने के लिये प्रोत्साहति करेगा।
- **SRO की वशिषताएँ:**
 - **वस्तुनषिठ कार्यपरणाली:** SRO, RBI की नगिरानी में वस्तुनषिठ रूप से कार्य करते हैं।
 - **सतत वकिस:** SRO का लक्ष्य क्षेत्र का वकिस करना है और यद आवश्यक हो तो चरणबद्ध वनियामक अनुपालन पथ की पहचान कर सकते हैं।
 - **व्यापक प्रतनिधित्व:** SRO व्यापक सदस्यता समझौतों के माध्यम से क्षेत्र का प्रतनिधित्व करते हैं।
 - **स्वतंत्रता:** वे कसिी भी एक सदस्य या समूह के प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।
 - **वविाद समाधान:** SRO सदस्यों के बीच वविादों में वैध मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।
 - **वनियामक अनुपालन:** सदस्यों को वनियामक प्राथमकिताओं का अनुपालन करने के लिये प्रोत्साहति करना उनकी भूमिका का हसिा है।
- **कार्य:**
 - **नयिम-नरिमाण:** SRO वस्तुनषिठ और परामर्शात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से नयिम तथा मानक स्थापति करते हैं।
 - **उद्योग मानक:** वे उद्योग मानक और आधारभूत प्रौद्योगिकी मानक नरिधारित करते हैं।
 - **नगिरानी:** SRO क्षेत्र की नगिरानी करते हैं, अपवादों का पता लगाते हैं और मुद्दों को उजागर करते हैं।
 - **आचरण मानक:** वे आचरण के मानकों को परभाषित करते हैं और उल्लंघन के लिये दंड लगाते हैं।
 - **सदस्यता नयितरण:** SRO कसिी इकाई को सदस्य के रूप में प्रतबिधित या हटा सकते हैं।
 - **शकियत समाधान:** सदस्यों के लिये वविाद समाधान ढाँचा स्थापति करना आवश्यक है।

स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिये मास्टर परपित्र जारी

- भारतीय बीमा एवं वनियामक विकास प्राधिकरण (Insurance and Regulatory Development Authority of India- IRDAI) ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर एक मास्टर परपित्र जारी किया।
 - यह परपित्र 55 पछिले परपित्रों का स्थान लेता है और तत्काल प्रभाव से लागू है।
 - मास्टर परपित्र की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

बीमा उत्पादों के प्रकार:

- बीमाकर्त्ताओं को ग्राहकों को व्यापक वकिलप प्रदान करने के लिये उत्पाद पेश करने चाहिये।
- उन्हें नमिनलखिति की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये:
 - सभी उम्र के लोग।
 - सभी प्रकार की चिकित्सीय स्थितियाँ।
 - पहले से मौजूद और पुरानी स्थितियाँ।
 - चिकित्सकीय और उपचार की सभी प्रणालियाँ।
 - सभी प्रकार के अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता।
- इन उत्पादों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017, सरोगेसी (वनियिमन) अधिनियम, 2021 और एचआईवी तथा एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 सहित प्रासंगिक कानूनों का पालन करना होगा।
- दावों का नपिटान:
 - बीमाकर्त्ताओं को एक नशिचति समय-सीमा के भीतर 100% कैशलेस दावों का नपिटान करने का प्रयास करना चाहिये।
 - कैशलेस नपिटान पर नरिणय अनुरोध के एक घंटे के भीतर होना चाहिये।
 - कैशलेस अनुरोधों को सकषम करने के लिये आवश्यक प्रणालियाँ 31 जुलाई, 2024 तक लागू होनी चाहिये।
 - अस्पताल से छुट्टी मिलने के तीन घंटे के भीतर अंतिम प्राधिकरण प्रदान किया जाना चाहिये।
 - देरी के कारण होने वाले किसी भी अतिरिक्त शुल्क का वहन बीमाकर्त्ता को अपने शेयरधारक कोष से करना होगा।
- कस्टमर इनफॉर्मेशन शीट:
 - बीमा कंपनियों को ग्राहकों को CIS प्रदान करना चाहिये, जिसमें पॉलिसी की विशेषताओं को सरल भाषा में समझाया जाना चाहिये।
 - CIS में बीमा का प्रकार, बीमा राशि, बहिषकरण, कटौती योग्य राशि और उप-सीमा जैसे विवरण शामिल होते हैं।
- बोर्ड द्वारा मंजूर नीति: बीमाकर्त्ताओं के पास नमिनलखिति पर बोर्ड-अनुमोदित नीतियाँ होनी चाहिये:
 - अंडरराइटिंग
 - अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का पैनेल बनाना।
 - उनके पास सुस्पष्ट दावा नपिटान प्रक्रियाएँ होनी चाहिये।

RBI ने परयोजना वतित हेतु प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क पर टपिपणियाँ आमंत्रित की

- भारतीय रज़िर्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने ड्राफ्ट नरिदेश जारी किये हैं जो वनियिमति संस्थाओं द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन-इंफ्रास्ट्रक्चर और वाणजियकि रयिल एस्टेट परयोजनाओं के वतितपोषण के लिये एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं।
- वनियिमति संस्थाओं में बैंक और गैर-बैंकिंग वतित्तीय कंपनियाँ शामिल हैं।

मसौदा नरिदेशों की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- परयोजना वतित पोषण की शर्तें:
 - परयोजना वतितपोषण ऋण चुकौती के लिये परयोजना राजस्व पर नरिभर करता है, जिसमें परयोजना स्वयं संपार्श्वकि के रूप में होती है।
 - ऋणदाताओं के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव समाधान नीति होनी चाहिये।
 - नधिपरयोजना के पूरा होने के अनुपात में वतितरि की जानी चाहिये, जसि किसी स्वतंत्र वास्तुकार या इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये।
- कंसोर्टियम द्वारा वतितपोषित परयोजनाओं में एक्सपोजर की सीमाएँ होंगी।
 - 1,500 करोड़ रुपए तक के कुल जोखमि वाली परयोजनाओं के लिये ऋणदाताओं के पास कम-से-कम 10% जोखमि होना चाहिये।
 - उच्च समग्र जोखमि वाली परयोजनाओं के लिये कम-से-कम 150 करोड़ रुपए या कुल जोखमि का 5% व्यक्तगित जोखमि की आवश्यकता होती है।
- स्ट्रेस रेज़ोल्यूशन:
 - ऋणदाता परयोजना तनाव की नगिरानी करते हैं और ऋण घटनाओं (जैसे- वाणजियकि संचालन तथि का वसितार, अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता) की रपिर्ट करते हैं।
 - ऋण घटना के 30 दिनों के भीतर देनदार की समीक्षा की जाती है, जसिसे संभावित समाधान योजनाएँ बनती हैं।
- स्टैंडर्ड एसेट्स के लिये प्रावधान:
 - ऋणदाता नरिमाणाधीन परयोजनाओं के लिये बकाया नधियाँ का 5% प्रावधान करते हैं।
 - एक बार चालू होने के बाद यह प्रावधान वशिषिट शर्तों के अधीन 2.5% और फरि 1% तक कम हो सकता है। इनमें सकारात्मक शुद्ध परिचालन नकदी प्रवाह एवं परयोजना शुरू होने से ऋण में कमी शामिल है।

मसौदा वस्फोटक वधियक, 2024

वाणजिय और उद्योग मंत्रालय ने सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं के लिये वस्फोटक वधियक, 2024 का मसौदा जारी किया। इस वधियक का उद्देश्य वस्फोटक अधिनियम, 1884 को प्रतस्थापित करना है, जो वर्तमान में वाणजियिक प्रयोजनों के लिये वस्फोटकों के निर्माण, कब्जे, उपयोग, बिक्री, परिवहन, आयात एवं निर्यात को नियंत्रित करता है।

- **लाइसेंस प्रदान करना:** अधिनियम के अनुसार, वस्फोटकों का वनिरमाण, उपयोग, बिक्री, निर्यात या आयात करने के इच्छुक व्यक्तियों को लाइसेंस प्राधिकारी के पास लाइसेंस के लिये आवेदन करना होगा।
 - अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि वस्फोटकों के वनिरमाण, उपयोग, बिक्री, निर्यात या आयात में शामिल किसी भी व्यक्तिको लाइसेंसिंग प्राधिकरण के समक्ष लाइसेंस के लिये आवेदन करना होगा।
 - लाइसेंसिंग प्राधिकरण, जैसे कि वस्फोटकों का मुख्य नियंत्रक, निर्दिष्ट अवधि के लिये लाइसेंस प्रदान करता है और वस्फोटकों की स्वीकार्य मात्रा निर्दिष्ट करता है।
- **अपराध के लिये सज़ा:** मसौदा वधियक में वभिन्न अपराधों के लिये जुर्माना बढ़ाया गया है।
 - उदाहरण के लिये वस्फोटकों के अवैध निर्माण, आयात या निर्यात पर अधिकतम जुर्माना पाँच हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया गया है।

जल संसाधन

बाँध सुरक्षा और नगिरानी पर वनियम जारी

- **राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण** ने "निर्दिष्ट बाँधों की नगिरानी, निरीक्षण और हाइड्रोमेटोलॉजिकल स्टेशन वनियमन, 2024" जारी किया है। ये वनियमन सुरक्षा के लिये बाँधों और जल प्रवाह संकेतकों की नगिरानी पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

मुख्य विशेषताओं में नमिनलखित शामिल हैं:

- **बाँधों की नगिरानी:**
 - राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (State Dam Safety Organisations- SDSO) अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाँधों की लगातार नगिरानी करते हैं।
 - बाँध के ढाँचे में दरारें, रसाव या उपकरण से संबंधित किसी भी समस्या जैसी किसी भी वसिगतिका निरीक्षण करने के लिये नगिरानी की आवश्यकता होती है।
 - वशिष्ट निरीक्षण उदाहरणों में मानसून से पहले/बाद, बाढ़ के बाद और भूकंप के बाद के मामले शामिल हैं।
- **हाइड्रोमेटोलॉजिकल स्टेशन:**
 - प्रत्येक बाँध के पास एक हाइड्रोमेटोलॉजिकल स्टेशन वर्षा, जल स्तर, निर्वहन, तापमान और हवा को मापता है।
 - दैनिक नगिरानी सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
 - बाँध मालिकों को बाढ़ के पूर्वानुमान और चेतावनी के लिये एक इंस्ट्रुमेंटेशन नेटवर्क भी स्थापित करना चाहिये।